राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–612/2009/भरतपुर

मैसर्स राजकुमार पुत्र श्री मोतीलाल,
भरतपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विनय गोयल,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 02/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 193/उपा–भरत/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2007 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(11) के तहत कायम की गई शास्ति राशि रुपये 2,48,527/– को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भरतपुर ने भरतपुर में सेवर पुलिस थाना के पास वाहन संख्या आरजे/05–जीए–2659 को दिल्ली से भरतपुर के लिए परचून माल परिवहनित करते समय दिनांक 10.09.2007 को चैक किया। वाहन चालक/माल प्रभारी से माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उसने दस्तावेज पेश नहीं किये। पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का जवाब पेश किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(11) के तहत् शास्ति राशि रूपये 2,48,527/– आरोपित कर दी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि भरतपुर का परचून माल से भरा ट्रक डहरा मोड पर खराब हो जाने के कारण अपीलार्थी

लगातार.....2

व्यवहारी द्वारा उस परचून माल को दूसरे वाहन में लोड कर डहरा मोड से परिवहन किया जा रहा था। माल से संबंधित दस्तावेज पहली गाडी के साथ नहीं थे, इसलिए हमारी गाडी पर शास्ति नहीं लगायी जावे। उनका कथन था कि अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त चैकिंग सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन को रूकवाकर चैक किया गया। वाहन के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, जो आवश्यक थे। चैक किये गए वाहन के साथ कोई दस्तावेज नहीं थे। अपीलीय अधिकारी ने उचित कारणों का विवेचन करते हुए आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. फलतः अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(खेमराज)
अध्यक्ष